

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में ज्ञापन की गई। जिसके अनुसार रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 के माध्यम से प्रार्थना पत्र द्वारा उद्घृत आवेदन पत्र, शपथ पत्र काधार कोड, पहचान पत्र के प्रार्थना की माताजी का नाम 'तीजा देवी पति अमरचन्द' को उद्घृत किया जाना प्रस्तावित है।

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

24/06/23

दिनांक :- 24/06/23

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है।

प्रशासन शांति के संग अभियान 2023

24/06/23

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	अडवाणा	2035-38	03	तीजा देवी पति अमरचन्द का माता	तीजा देवी पति अमरचन्द का माता

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

24/6/23

24/6/23
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 224
प्रतिलिपि :-

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन शांति के संग अभियान - 2023
24/6/23

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

24/6/23
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन शांति के संग अभियान - 2023
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी